न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

52/2024

उनवान

अनन्त बिहारी .... बनाम .... ज्ञानवती

किस्म मुकदमा – 223 .... अपील संख्या 2024/134

अभिभाषक अपीलांट श्री घनश्याम नागर .... अभिभाषक रेस्पोडेंट – ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2024	पत्रावली पेश हुई। उक्त अपील अनन्त बिहारी पुत्र विपिल बिहारी द्वारा जर्ये अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एडवोकेट दिनांक 08.07.2024 को पेश की गई। सरिस्ते की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर होने के कारण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जावे। उक्त अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या 42/2012 उनवान ज्ञानवती बनाम कृष्णादेवी वगै0 के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.07.2016 के विरूद्व पेश की गई है। उक्त निर्णय के विरूद्व इस न्यायालय में पूर्व में भी अपील संख्या 2021/7 उनवान ज्ञानवती बनाम कृष्णा देवी पेश की गया जिस पर दिनांक 20–07–2019 को अभिभाषक अपीलांट द्वारा अभिभाषक रेस्पोडेंट की उपस्थिति में अपील में नोट प्रेस में खारिज की गयी। नोट प्रेस में खारिज की अपील में अनन्त बिहारी के अभिभाषक भी उपस्थित थे, उनके द्वारा लिखित में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन/प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण उक्त अपील इस न्यायालय में मेन्टनेवल नहीं है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2019 की जानकारी दिनांक 28.06.2024 को होना बताया है, जबकि दौराने निर्णय अनन्त बिहारी के अभिभाषक उपस्थित थे तथा वकालतनामे पर भी अनन्त बिहारी के हस्ताक्षर है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर भी यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील मेंटेनेवल नहीं होने से तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु पर इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ,कोटा

अनन्तबिहारी उम्र वर्ष पुत्र विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना जाति कायस्थ निवासी बीमा आर्ट12/4 पीडबल्यूडी. कॉलोनी पुलिस थाने के पीछे विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा राजस्थान

——अपीलान्ट

बनाम

1. ज्ञानवती उम्र 60 वर्ष पु.ी विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी पत्नी श्री सुशील कुमार सक्सैना जाति कायस्थ निवासी किशनगंज हाल निवासी दाता केलवाडा सीताबाडी रोड तहसील शाहबाद जिला बांरा , राजस्थान
2. बृजबिहारी सक्सैना उम्र 48 वर्ष पुत्र विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना जाति कायस्थ निवासी चौमुखा बाजार जैन मन्दिर के पास , किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बांरा राजस्थान (मृतक)

   2/1. मधु सक्सैनाउम्र 45 वर्ष बेवा स्वर्गीय श्री बृजबिहारी सक्सैना

   2/2. बिन्दिया सक्सैना उम्र 18 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री बृजबिहारी सक्सैना जातिगण कायस्थ निवासीगण निवासी चौमुखा बाजार जैन मन्दिर के पास , किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बांरा राजस्थान

   2/3. आयुष सक्सैना उम्र 15 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री बृजबिहारी सक्सैना नाबालिग जरिये वली माता खुद मधु सक्सैना उम्र 45 वर्ष बेवा स्वर्गीय श्री बृजबिहारी सक्सैना जाति कायस्थ

   2/4. काजल सक्सैना उम्र 16 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री बृजबिहारी सक्सैना नाबालिग मधु सक्सैना उम्र 45 वर्ष बेवा स्वर्गीय श्री बृजबिहारी सक्सैना जाति कायस्थ निवासीगण चौमुखा बाजार जैन मन्दिर के पास किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बांरा राजस्थान
3. कृष्णादेवी उम्र 88 वर्ष बेवा विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना जाति कायस्थ निवासी चौमुखा बाजार जैन मन्दिर के पास किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बांरा राजस्थान

4. चन्द्रवती उम्र 60 वर्ष पुत्री विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना पत्नी श्री कैलाशचन्द्र सक्सैना जाति कायस्थ निवासी ओल्ड ब्लॉक स्कूल के पीछे पुराना मोटर गेरिज झालावाड जिला झालावाड, राजस्थान

5. प्रकाशवती आयु 56 वर्ष पुत्री विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना पत्नी नरेन्द्र कुमार सक्सैना जाति कायस्थ निवासी 8 बालागंज मन्दसौर मध्य प्रदेश

6. विनोदबिहारी उम्र 53 वर्ष पुत्र विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना जाति कायस्थ निवासी सक्सैना क्लिनिक रामगढ तहसील किशनगंज जिला बांरा, राजस्थान

7. कुन्जबिहारी उम्र वर्ष पुत्र विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना [illegible] जाति कायस्थ निवासी चौमुखा बाजार जैन मन्दिर के पास किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बांरा राजस्थान

8. सत्यवती पुत्री विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना पत्नी अनिल कुमार आर्य जाति कायस्थ निवासी मुरली धोकर गली जाट मोहल्ला, गुना जिला गुना मध्य प्रदेश (मृतक) :—

8/1. गौरव उम्र 32 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सत्यवती जाति कायस्थ निवासी मुरली धोकर गली जाट मोहल्ला, गुजना जिला गुना मध्य प्रदेश

8/2. शिखा उम्र 32 वर्ष पुत्री स्वर्गीय सत्यवती पत्नी हनुमान प्रसाद गुप्ता जाति कायस्थ निवासी दयालनगर (डी) पोस्ट ऑफिस के सामने मिर्जापुर (गंगापुर सिटी) जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान

8/3. किर्ती उम्र वर्ष पुत्री स्वर्गीय सत्यवती पत्नी मनोज जैन जाति कायस्थ निवासी वार्ड नम्बर 10 ब्रह्मपुरी मोहल्ला छबडा जिला बांरा, राजस्थान

9. दयावती उर्फ इन्द्रा उम्र वर्ष पुत्री विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना पत्नी अरूण कुमार आर्य जाति कायस्थ निवासी मुरली धोकर गली जाट मोहल्ला, गुना जिला गुना मध्य प्रदेश

10. लीलावती उम्र वर्ष विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना पत्नी राजबाबू जाति कायस्थ निवासी हनुवतखेडा पोस्ट चाचोडा तहसील छबडा जिला बांरा राजस्थान

11. ममता कुमारी आयु वर्ष पुत्री विपिल बिहारी उर्फ विपलबिहारी सक्सैना पत्नी भूपेन्द्र सक्सैना जाति कायस्थ निवासी मेन मार्केट अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा, राजस्थान

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , किशनगंज जिला बांरा राजस्थान

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर. टी. एक्ट विरूद्ध

फाईनल आदेश एवं डिक्री दिनांक 25.07.2016

बउनवान मुकदमा ज्ञानवती वगैरा बनाम कृष्णादेवी वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट

वाद संख्या 42/2012

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

महोदय,

अपीलान्ट निम्न आधारो पर यह अपील पेश कर निवेदन करता है:—

1. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है।

2. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

3. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वाद डिक्री कर दिया जो कि सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।

4. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सूचना प्रदान नही की गयी और न ही अपीलान्ट के नाम कोई नोटिस ही जारी किये गये है और न कोई नोटिस ही अथवा जानकारी अपीलान्ट को प्राप्त की हुयी है किन्तु फिर भी अपीलान्ट को विधिक प्रावधानो के विपरीत तामील होना मानकर दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है।